NORTH CENTRAL RAILWAY EMPLOYEES SANGH

Registered, Recognised & Affiliated to N.F.I.R. & I.N.T.U.C.
Central Office : 464/B, Nawab Yusuf Road, Allahabad (U.P.)

No : 60 /NCRES/19 Date : 21.02.2019

श्रीमान महाप्रबन्धक
नार्थ सेन्ट्रल रेलवे, इलाहाबाद

विषय:- टाइप II आवास में रहने वाले टाइप III के पात्र कर्मचारियों के रेल आवासों में AC प्वाइन्ट लगाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– NCRES पी.एन.एम. मद संख्या– 23/2016

महोदय,

NCRES को अवगत कराना है कि गर्मी के मौसम में NCR में तापमान मई से अगस्त माह तक न्यूनतम 40 डिग्री और अधिकतम 48 डिग्री से भी अधिक रहता है जिससे रेल आवासों में रह रहे रेलकर्मियों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जो संरक्षा व सुरक्षा के लिये भी गम्भीर खतरा है।

रेलवे बोर्ड के आदेशानुसार समस्त टाइप III व IV आवासों में ए.सी. प्वाइन्ट लगाया जाना था लेकिन नार्थ सेन्ट्रल रेलवे मे न लगाये जाने के कारण NCRES ने पी.एन.एम. के मद संख्या 23/2016 के माध्यम से मांग किया कि टाइप–III व टाइप IV के सभी आवासों में ए.सी. प्वाइंट लगाने के साथ–साथ टाइप II आवासों में रह रहे टाइप III आवास के पात्र कर्मचारियों के आवासों में तथा यूनियन कार्यालयों में AC प्वाइन्ट लगाया जाय।

सन् 2018 के मई–जून की प्रचण्ड गर्मी में कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुये दिनांक 4/5 जुलाई 2018 की पी.एन.एम. बैठक में तत्कालीन महाप्रबन्धक महोदय के समक्ष मांग उठाई गयी कि टाइप II आवास में रह रहे टाइप III के पात्र कर्मचारियों के आवासों में ए.सी. प्वाइन्ट लगाया जाय तो महाप्रबन्धक महोदय ने सभी PHOD की उपस्थिति में टाइप II आवास में रह रहे टाइप III के पात्र कर्मचारियों के आवासों में AC प्वाइन्ट लगाने का निर्देश PCEE को दिया लेकिन तत्कालीन महाप्रबन्धक के आदेश का पालन नही हुआ, जिससे कैडर में बहुत असंतोष है व रेलकर्मी बहुत दुःखी है।

NCRES ने दिनांक 23 जनवरी 2019 की पी.एन.एम. बैठक के प्रारम्भिक भाषण में आपके समक्ष पुनः मांग किया कि टाइप II आवासों में रह रहे टाइप III के पात्र कर्मचारियों के आवासों में AC प्वाइन्ट लगाया जाय किन्तु खेद के साथ अवगत कराना है कि इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही अभी तक नही हुई और अगले माह से नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के इलाहाबाद, झांसी और आगरा मण्डल में प्रचण्ड गर्मी शुरू होने वाली है।

अतः NCRES का अनुरोध है कि नार्थ सेन्ट्रल रेलवे के क्षेत्र में गर्मी के दिनों में 48 डिग्री से ज्यादा तापमान होने पर कर्मचारियों की परेशानियों को देखते हुये टाइप II रेल आवासों में रहने वाले टाइप III के पात्र कर्मचारी के आवासों में एवं यूनियन कार्यालयों में AC प्वाइन्ट लगाने के लिये उचित आदेश करने की कृपा करे।

(आर. पी. सिंह)
महामंत्री